न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 57/2011 तारीख रजू:–02.10.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2011/00065

पीठासीनअधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह(आर.ए.एस.)

1. मूर्ति मन्दिर श्री राजमानेश्वर जी महाराज विराजमान चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाड़ा जरिये पुजारी रूपनारायण शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा निवासी चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज)

–प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाडा।

–अप्रार्थी

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी :–

वकील अप्रार्थी :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:–29.12.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय:–

1. प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि–

- मन्दिर श्री राजमानेश्वर जी महाराज चौथ का बरवाडा ग्राम में स्थित है, जिसमें महदेव जी की प्रतिमा सैकडों वर्षों से स्थापित है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा पुजारी के रूप में रूपनारायाण करता चला आ रहा है।
- मंदिर श्री राजमानेश्वर जी महाराज की प्रार्थी की काफी जमीन कस्बा चौथ का बरवाडा में स्थित है, जो मंदिर श्री राजमानेश्वर जी महाराज के नाम रिकार्ड में दर्ज है। ठीकाना चौथ का बरवाडा द्वारा काफी भूमि प्रार्थी को माफी में दी गई है, जिसका पट्टा भी प्रार्थी पेश कर रहा है, जिसमें प्रार्थी रूपनारायण बहैसियत पुजारी दर्ज है।
- ग्राम चौथ का बरवा[illegible]री की माफी जमीन स्थित है, जो खाता संख्या 263 में दर्ज [illegible] कुल किता 36 कुल रकबा 5.79000 हैक्टेयर है। जमाबंदी [illegible] पेश है। इसी प्रकार खाता संख्या 128 पर कुल 6 [illegible] में दर्ज है जिसका [illegible] भी 5.9800 हैक्टेयर है, इसी प्रकार खाता संख्[illegible]29 में कुल 3 खस[illegible]र दर्ज है, जिनका रकबा 72 ऐयर है, इसी प्रकार खाता संख्या 130 पर कुल 4 खसरा नम्बरान दर्ज है, जिनका रकबा 84 ऐयर है, उक्त सभी खसरा नम्बर ग्राम चौथ का बरवाडा में वाके है, जमाबंदी संवत् 2061–64 अवलोकनार्थ पेश है, इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रकार खाता संख्या 345 पर कुल खसरा नम्बर 21 दर्ज है। जिनका कुल क्षेत्रफल 33.2700 हैक्टेयर है। जमाबंदी सन् 2006 अवलोकनार्थ पेश है। उक्त खसरा नम्बरान भी ग्राम चौथ का बरवाडा में वाके है।

❖ उक्त समस्त भूमि मंदिर राजमानेश्वर जी महाराज के नाम पूर्व में खातेदारी में दर्ज थी लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट श्री राजेश्वरी जी महाराज नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया इसी प्रकार खाता संख्या 363 के रिकार्ड में वादी के नाम के स्थान पर सहवन व स्लीप आप पेन के कारण मंदिर श्री राजेश्वर जी महाराज दर्ज हो गया। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट सहवन से की गई है। जो किसी भी वक्त दुरूस्त की जा सकती है।

❖ प्रार्थी को यह अधिकार है, कि वह दावे के मद न. 3 में वर्णित खातों में मंदिर राजेश्वरी व मंदिर राजेश्वर के स्थान पर मंदिर राजमेश्वर दुरूरत करवाये । उक्त समस्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी व खुद काश्त की आराजी है, जिससे ही मंदिर की सेवा पुजा व राज भोग का खर्चा चलता है। कुछ व्यक्ति रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाना चाहते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

❖ दिनांक 19.8.2006 की बात है कि प्रार्थी पुजारी रूपनारायण पटवारी के पास बैठा हुआ था तो पटवारी ने उक्त गलत इन्द्राजात बाबत जानकारी दी, तब मैंने समस्त रिकार्ड की नकल ली, तब जाकर मुझे पता लगा कि रिकार्ड में सहवन से मंदिर के नाम राजमानेश्वर की जगह राजेश्वरी व राजेश्वर दर्ज हो गया है। उसके उपरान्त समस्त रिकार्ड लेकर में तहसीलदार जी चौथ का बरवाडा के पाग गया तो उन्होंने दुरूस्ती करने से मना कर दिया। व कहा कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करो लिहाजा यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

❖ बिनाय दावा दिनांक 19.8.2006 को रिकार्ड की नकल लेने पर एवं तहसीलदार जी द्वारा दुरूस्ती करने से मना करने पर इस न्यायालय के न्याय क्षेत्र में पैदा हुआ है, जिसे देखने व सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है।

❖ रूपनारायण मंदिर श्री राजमानेश्वर जी विराजमान चौथ का बरवाडा का पुजारी हू। इसलिए मंदिर मूर्ति की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने में सक्षम हू। वैसे कोई भी व्यक्ति मंदिर मूर्ति की और से वाद ला सकता है, क्योंकि मंदिर मूर्ति श्वास्त नाबालिग है, जैसा की रेवेन्यू बोर्ड व राजस्थान हाई कोर्ट की विभिन्न रूलिंग में स्पष्ट है।

❖ अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीका फरमाया जाकर शुद्धी पत्र इस अमर का जारी किया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में वर्णित समस्त खातों में प्रार्थी मंदिर श्री राजमानेश्वर जी महाराज वाके चौथ का बरवाडा का नाम दुरूस्त किया जावे, एवं अंकित किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम पैराकार सरकार जारी किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अप[illegible] भू0अ0 / 2025 / 2011 दिनांक 12.011.2025 द्वारा रिपोर्ट इस [illegible] है जो [illegible]नुसार है–

➢ ग्राम चौथ का बरव[illegible]थ का बरवाडा बी के खसरा नम्बर 3225 / 0.93, 3360 / 1.76, 4448 / 1[illegible] 4449 / 1.42, 4450 / 1.43, 4451 / 1.43, 4486 / 3.96, 4530 / 157, 4531 / 1.58, 4534 / 248, 4547 / 0.16. 4548 / 190, 4640 / 0.10, 4641 / 1.15. 4662 / 524, 4685 / 034, 4686 / 2.10. 4721 / 2.19. 4722 / 0.78, 4723 / 0.77, 4724 / 0.77 कुल किता 21 कुल

Vgem
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

रकबा 33.27 है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार माफी मन्दिर श्री राजेश्वरी महाराज सा०देह के नाम दर्ज है। तथा ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल चौथ का बरवाडा ए के खसरा नम्बर 2033/0.22, 2034/0.06, 2035/0.06, 2036/0.05. 2037/0.05, 2039/0.09, 2040/0.09, 2041/0.14, 2042/0.15, 2043/0.10. 2044/0.10, 2045/0.18 2046/026, 2047/0.10, 2050/0.02, 2052/0.19, 2053/0.22, 2054/0.04, 2057/0.04, 2058/0.04, 2059/0.05, 2060/0.04, 2061/0.03, 2062/0.18, 2078/0.04, 2079/0.05, 2080/0.09, 2081/0.08. 2082/0.09. 2083/0.10, 4085/0.18. 4086/0.18. 4089/0.20, 4157/203 4158/0.10. 4281/4765/0.15 कुल किता 36 कुल रकबा 5.79 है० माफी मन्दिर श्री राजेश्वर जी महाराज सा०देह के नाम दर्ज है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2058 खसरा नम्बर 2058/0.04, 2059/0.05, 2060/0.04. 2061/0.03, 2062/0.18 बाबूलाल, बसन्तीलाल, सत्यनारायण, सीताराम पि० दुर्गाशंकर उर्फ माधोलाल कोन माली सा०देह के नाम दर्ज है।

- खतौनी बन्दोबस्त मौजा चौथ का बरवाडा तह० व जिला सवाई माधोपुर डिवीजन जयपुर राजस्थान संवत 2009 लगायत 2023 में नम्बर पर्चा चकबन्दी संख्या 418, 419, 420, 422, 423, 424, 421, 428, 429. 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 जो माफी मन्दिर श्री राजेश्वर महादेव जी व्रहतमाम पु० रूपनारायण वल्द जैनारायण कौ० ब्राहमण सा० देह के नाम दर्ज है।

- ग्राम रजवाना के खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 545/1.20, 546/1.24, 549/1.04, 550/1. 00, 82/0.76, 83/0.74, 937/021, 938/0.20, 941/0.25, 942/0.13, 943/0.39, 944/0.12, 956/0 26 किता 13 कुल रकबा 7.54 है. मन्दिर श्री राजेश्वरी जी वाके बरवाडा के नाम खातेदारी दर्ज है।

4. बहस प्रार्थी वकील सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया एव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल चौथ का बरवाडा बी के खसरा नम्बर 3225/0.93, 3360/1.76, 4448/12.1, 4449/1.42, 4450/1.43, 4451/1.43, 4486/3.96, 4530/157, 4531/1.58, 4534/248, 4547/0.16. 4548/190, 4640/0.10, 4641/1.15. 4662/524, 4685/034, 4686/2.10. 4721/2.19. 4722/0.78, 4723/0.77, 4724/0.77 कुल किता 21 कुल रकबा 33.27 है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार माफी मन्दिर श्री राजेश्वरी महाराज सा०देह के नाम दर्ज है। तथा ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल चौथ का बरवाडा ए के खसरा नम्बर 2033/0.22, 2034/0.06, 2035/0.06, 2036/0.05. 2037/0.05, 2039/0.09, 2040/0.09, 2041/0.14, 2042/0.15, 2043/0.10. 2044/0.10, 2045/0.18 2046/026, 2047/0.10, 2050/0.02, 2052/0.19, 2053/0.22, 2054/0.04, 2057/0.04, 2058/0.04, 2059/0.05, 2060/0.04, 2061/0.03, 2062/0.18, 2078/0.04, 2079/0.05, 2080/0.09, 2081/0.08. 2082/0.09. 2083/0.10, 4085/0.18. 4086/0.18. 4089/0.20, 4157/203 4158/0.10. 4281/4765/0.15 कुल किता 36 कुल रकबा 5.79 है० माफी मन्दिर श्री राजेश्वरी महाराज सा०देह के नाम दर्ज है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2058 खसरा नम्बर 2058/0.04, 2059/0.05, 2060/0.04. 2061/0.03, 2062/0.18 बाबूलाल, बसन्तीलाल, सत्यनारायण, सीताराम पि० दुर्गाशंकर उर्फ माधोलाल कोन माली सा०देह के नाम दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त मौजा चौथ का बरवाडा तह० व जिला सवाई माधोपुर डिवीजन जयपुर राजस्थान संवत 2009 लगायत 2023 में नम्बर पर्चा चकबन्दी संख्या 418, 419, 420, 422, 423, 424, 421, 428, 429. 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 जो माफी मन्दिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

श्री राजेश्वर महादेव जी ब्रहतमाम पु० रूपनारायण वल्द जैनारायण कौ० ब्राहमण सा० देह के नाम दर्ज है। ग्राम रजवाना के खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 545/1.20, 546/1.24, 549/1.04, 550/1. 00, 82/0.76, 83/0.74, 937/021, 938/0.20, 941/0.25, 942/0.13, 943/0.39, 944/0.12, 956/0 26 किता 13 कुल रकबा 7.54 है. मन्दिर श्री राजेश्वरी जी वाके बरवाडा के नाम खातेदारी दर्ज है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये सेटलमेंट से पूर्व विवादित आराजीयात का नाम मंदिर मूर्ति राजमानेश्वर विराजमान चौथ का बरवाड़ा रहा है, न ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, जिस कारण लिपिकीय त्रुटीवश नाम में गलती हुई हो।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested